राजस्थान सरकार

स्मरण–पत्र

कार्यालय आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

अत्यावश्यक

एफ25(डी)13/लेखा/आ. नि./आकाशि/2016/3858 दिनांक 13/06/2019

समस्त सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :– निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने बाबत्।

सन्दर्भः– आयुक्तालय के पूर्व पत्रांक 3855 दिनांक 26.04.2019

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में पुनः लेख है कि निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जॉच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की पालना शीघ्र भिजवाने हेतु पूर्व मे भी लिखा जा चुका है किन्तु अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा अनुपालनाएं नहीं भिजवायी गई है। इस संबंध मे उच्च स्तर पर अधिकारियों द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण के बकाया आक्षेपों के निरस्तीकरण की धीमी गति को गम्भीरता से लिया गया है। इस सम्बन्ध में आपके महाविद्यालय के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की स्थिति सन्दर्भित पत्र के द्वारा पूर्व में (मय अनुपालना प्रारूप) भेजी जा चुकी है।

अतः इस संबंध में पुनः लेख हैं कि आपके महाविद्यालय से संबंधित निरीक्षण विभाग के बकाया प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों के निरस्तीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर ठोस एवं पूर्ण अनुपालना (मय संलग्नक प्राचार्य के हस्ताक्षर सहित) दो प्रतियों में तैयार कर 7 दिवस में भिजवाने की व्यवस्था करावें अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

-Sd-
(एन. एल. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

एफ25(डी)13/लेखा/आ. नि./आकाशि/2016/3859-61 दिनांक 13/06/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1.निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2.सहायक लेखाधिकारी–1 सम्बन्धित महाविद्यालय अंकेक्षण आक्षेपों की अनुपालना प्राथमिकता से तैयार कर भिजवाये। आयुक्तालय स्तर पर शीघ्र ही कैम्प आयोजित किये जावेगे।

3. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर